

न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी :: बनवारीलाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :: 93/2017
सरकार बनाम राजवीर, रामसिंह पुत्रगण प्रहलाद, जाति-
मेघवाल, निवासी- डुलानिया

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.08.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान राजवीर, रामसिंह पुत्रगण प्रहलाद, जाति-मेघवाल, निवासी- डुलानिया द्वारा रोही मौजा डुलानिया की राजकीय भूमि ख.नं. 715/343 के कुल रकबा 14.43 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है० भूमि पर खाई बाड़, व छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि वे इस भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज हैं। कब्जा 40-50 साल से होना वर्णित किया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 10 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12 पर
10 ले० सं० 4 के पृष्ठ सं.....
वर्ष 2017-18 में रूपये 1.00 कायम किए
(2017)
राजस्व लेखाकार

(बनवारीलाल)
2-8-17
(बनवारीलाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़